

13.6.18

पत्रावली न्याय आपके द्वारे-2018 में न्यायालय
दफ्तर में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया
गया तो इस न्यायालय के आदेश क्रमांक 2018
18/790 दि० 6.6.18 से सदमीले के आधार पर
प्रस्तावित लगभग करने की स्वीकृति जारी की
जा चुकी है। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही
अपेक्षित नहीं है अतः इस प्रकरण को खारिज
किया गया। पत्रावली फाइल सुमारे देकर इसे
सम्बन्ध से काटें। आदेश खुले न्यायालय
में सुनाया गया।

न्यायालय अधिकारी